

## समयमान वेतनमान

### विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	समयमान वेतनमान में पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवा को जोड़ा जाना	सं० 463/xxvii (7)/2010 दिनांक 22 फरवरी, 2010	195-196
2.	समयमान वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 463/xxvii(7)/2010 दिनांक 22 फरवरी, 2010 में संशोधन	सं० 495/xxvii(7)/2010 दिनांक 19 मार्च, 2010	197-198
3.	मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण	सं० 542/xxvii(7)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010	199-200
4.	पूर्व वेतनमान में समयमान वेतनमान वाले पद के पुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतन बृद्धि का लाभ अनुमन्य करने के संबंध में	सं० 729/xxvii(7)/2010 दिनांक 29 अक्टूबर, 2010	201-202
5.	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था	सं० 872/xxvii(7)/न० प्रति/ 2011, दिनांक 08 मार्च, 2011	203-216
6.	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए०सी०पी०) से संबंधित शासनादेश संख्या 872/xxvii(7)न०प्रति/2011 दिनांक 08 मार्च 2011 का स्पष्टीकरण	सं० 10/xxvii(7)40(ix) /2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011	217-224

प्रेशक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक 22 फरवरी, 2010

विषय:- समयमान वेतनमान में पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवा को जोड़ा जाना।

महोदय,

समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में निर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के स्पष्टीकरण संख्या-वे0आ0-2-257/10-2004-45(एम)/99 टी0सी0 दिनांक 20 अगस्त, 2004 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 327/XXVII(3)स0वे0/2005 दिनांक 23 अगस्त, 2005 के संलग्नक के बिन्दु संख्या-5 में एक पद का आशय स्पष्ट करते हुए एक ही पदनाम अथवा समान वेतनमान वाले पद पर दो विभागों में की गयी सेवा को गणना में न लेने तथा एक ही विभाग के ऐसे पद जो एक संवर्ग के हैं और आपस में स्थानान्तरणीय हैं तथा वरिष्ठता सूची एक है, को छोड़कर एक ही विभाग में समान वेतनमान में भिन्न-भिन्न पदों पर की गयी सेवा को गणना में न लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसे मामलों में जहां किसी संवर्ग में समयमान वेतनमान के पद से पदोन्नति होती है अथवा समान वेतनमान के दो पदों को संविलीन किया जाता है, वहां संबंधित पद धारक का वेतन निर्धारण पूर्व पद पर आहरित मूल वेतन के समान स्तर पर ही होता है तथा समयमान वेतनमान में पूर्व पद की सेवायें न जोड़े जाने से उन्हें हानि होती है।

2- उपर्युक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समान वेतनमान के पद पर पदोन्नति/संविलियन के फलस्वरूप संबंधित पदधारक को नये धारक पद पर समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व पद की सेवाओं को जोड़ा जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-327/XXVII(3)स0वे0/2005 दिनांक 23 अगस्त, 2005 के स्पष्टीकरण विषयक संलग्नक के बिन्दु संख्या-5 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,


(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।

संख्या : 463(1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक:19मार्च,2010

विषय:- समयमान वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या: 463/XXVII(7)/2010  
दिनांक 22 फरवरी 2010 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या: 463/XXVII(7)/2010 दिनांक 22 फरवरी 2010 के विषय में "समयमान वेतनमान में पदोन्नति/संविलियन" एवं शासनादेश की नवीं पंक्ति में "ऐसे मामलों में जहाँ किसी संवर्ग में समयमान वेतनमान के पद से पदोन्नति होती है अथवा" में त्रुटिवश 'समान वेतनमान' के स्थान पर 'समयमान वेतनमान' अंकित हो गया है। अतः उक्त के स्थान पर अब निम्नरूप पढ़ा जाय।

"समान वेतनमान में पदोन्नति/संविलियन" एवं शासनादेश की नवीं पंक्ति में "ऐसे मामलों में जहाँ किसी संवर्ग में समान वेतनमान के पद से पदोन्नति होती है अथवा"

2- शासनादेश संख्या-463/XXVII(7)/2010 दिनांक 22 फरवरी 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,


(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।

संख्या 495 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनोक्त

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक/15 अक्टूबर, 2010

विषय:-मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:444 / XXVII(7)ए.सी. पी./2010 दिनांक 9 फरवरी, 2010 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एम0ए0सी0पी0) के अनुरूप लागू व्यवस्था के प्रस्तर-11 में निम्नवत् व्यवस्था है:-

"वर्तमान में प्रचलित समयबद्ध प्रोन्नति की योजनाएं जिनमें in-situ पदोन्नति योजना, वाहन चालक स्टाफिंग पैटर्न या वर्ग विशेष के लिए लागू अन्य पदोन्नति की योजना-तब तक लागू रहेगी जब तक सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको बनाए रखने का सम्यक रूप से निर्णय लिया जाता है अन्यथा उन पर उक्त योजना लागू होगी। लेकिन उक्त योजनाएं इस योजना के साथ-साथ लागू नहीं रहेगी।" उक्त के संबंध में कतिपय कर्मचारी संघों के द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि क्या उक्त योजना के साथ-साथ स्टाफिंग पैटर्न भी लागू होगा अथवा नहीं।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एम0ए0सी0पी0) के उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2010 में स्पष्ट व्यवस्था है कि यदि किसी संवर्ग में समयबद्ध पदोन्नति की योजना, जिनमें in-situ पदोन्नति योजना, स्टाफिंग पैटर्न या वर्ग / संवर्ग विशेष के लिए लागू कोई अन्य पदोन्नति की योजना तथा मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एम0ए0सी0पी0) साथ-साथ प्रचलन में नहीं रहेगी। जिन संवर्गों के लिए समयबद्ध पदोन्नति की कोई योजना, स्टाफिंग पैटर्न या अन्य कोई भी पदोन्नति की योजना यदि प्रचलन में है और कतिपय संवर्गों के द्वारा उसका लाभ लिया जा रहा है, तब चूँकि संवर्ग में ही उसको सम्यक पदोन्नति के अवसर प्रदत्त हो रहे हैं इसलिए उक्त योजना के साथ-साथ मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एम0ए0सी0पी0) का लाभ अनुमन्य करने का औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि मोडीफाईड

एशर्योड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एम०ए०सी०पी०) की योजना केवल उन संवर्गों के लिए है जहाँ पर कार्मिकों को दो पदोन्नति के अवसर प्राप्त न हुए हों। समयबद्ध पदोन्नति की योजना, स्टाफिंग पैटर्न या अन्य पदोन्नति की कोई योजना जब तक प्रचलन में रहती है तब तक उन संवर्गों में जहाँ इस प्रकार की कोई योजना प्रचलन में है, तो वहाँ पर मोडीफाईड एशर्योड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एम०ए०सी०पी०) का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा। मोडीफाईड एशर्योड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एम०ए०सी०पी०) का लाभ तब ही अनुमन्य होगा जब उक्त प्रकार की अन्य समयबद्ध पदोन्नति की योजना, स्टाफिंग पैटर्न की योजना या अन्य पदोन्नति की योजना को समाप्त न कर दिया जाय।

उक्त स्पष्टीकरण के फलस्वरूप यदि किन्ही संवर्गों में दोनों योजनाओं का लाभ किन्ही पदधारकों को अनुमन्य कर दिया गया है तो वह लाभ वापस लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूडी)  
सचिव, वित्त

संख्या : 542 (1) / XXVII (7) / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव. ।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक 29 अक्टूबर, 2010

विषय:—पूर्व वेतनमान में समयमान वेतनमान वाले पद के पुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा दिनांक 31-8-2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसकी वास्तविक पदोन्नति अनुमन्य वैयक्तिक वेतनमान के समान वेतन बैंड एवं समान ग्रेड वेतन में होने पर उन्हें एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान में वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो संबंधित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए उसका वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा और आगामी वेतनवृद्धि उस पूर्व की भांति देय होगी।" मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के विषय में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।




संख्या : 729 (1) / XXVII(7) / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
7. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव ।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख साचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक:08 मार्च, 2011

विषय:-राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-444/XXVII(7)ए.सी.पी.(1)/2010 दिनांक 09 फरवरी, 2010 तथा तत्कम में निर्गत शासनादेश संख्या:542 XXVII(7)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त योजना दिनांक 1-01-2006 के पूर्व के वेतनमान ₹7500-12000 पुनरीक्षित वेतन बैंड में ग्रेड पे ₹4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 01-09-2008 से तथा वेतनमान ₹8000-13500 पुनरीक्षित वेतन बैंड में ग्रेड पे ₹ 5400 तथा उससे उपर के वेतन बैंड एवं ग्रेड पे के पदधारकों के लिए दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी होगी।
- (2) (i) ए0 सी0 पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोंनयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे:-  
(क) प्रथम वित्तीय स्तरोंनयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता हेतु सेवाविधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नानफंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरान्णयन माना जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरान्णयन दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरान्णयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरान्णयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरान्णयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय

स्तरोनन्यन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोनन्यन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोनन्यन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

- (vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोनन्यन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं संबंधित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।
- (vii) ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोनन्यन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।
- (viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोनन्यन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।
- (3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोनन्यन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या:-395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 के स्तम्भ-4 एवं 5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोनन्यन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

- (4) यदि किसी संवर्ग/पद के संबंध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए०सी०पी० की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।
- (5) वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर संबंधित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ संबंधित कार्मिक को वित्तीय स्तरान्तरण के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।
- (6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरान्तरण के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 एवं इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के प्रावधानों से विनियमित होंगे।
- (7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरान्तरण पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।
- (8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरान्तरण वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु तब तक

अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोंन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोंन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोंन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु संबंधित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो संबंधित वित्तीय स्तरोंन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोंन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2— समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 31-08-2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31-8-2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे:-

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना संबंधित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले ₹ 10 में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। संबंधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

(2)(i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को संबंधित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो संबंधित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित पदधारक को अगली वेतनवृद्धि न्यूनतम 06 माह के उपरान्त पड़ने वाली पहली जनवरी/जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जनवरी/जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड ₹ 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन ₹ 5400/- तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर-2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया

जायेगा। संबंधित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जनवरी/जुलाई को देय होगी।

- (3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो संबंधित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।
- (4) ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

टिप्पणी:— उक्त व्यवस्था से संबंधित कतिपय उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध हैं।

3— पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 सितम्बर,2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे संबंधित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 सितम्बर,2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना संबंधित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत



देय लाभ दिनांक 01 सितम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे:-

- (1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नानफक्शनल वेतनमान मिलने पर ए0सी0पी0 की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नानफक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नानफक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
- (2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
- (3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबंधित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,


दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप संबंधित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4- वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड

वेतन वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

- 5- (1) वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्कीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्कीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके संबंध में वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।
- (2) स्कीनिंग कमेटी की केस-टू-केस प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर बैठक आयोजित कर विचार किया जायेगा।
- (3) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्कीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।
- 6- ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।
- 7- ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।
- 8- ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संलग्नक:यथोपरि।


भवदीय  
  
(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।

संख्या : 872 (1) / XXVII(7) / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
11. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव ।

शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)/2011, दिनांक 08/03/11 का संलग्नक-1

उदाहरण-1

वेतनमान ₹ 4000-6000(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2400/-) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान ₹ 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/-) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए ₹ 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान ₹ 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/-) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान ₹ 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण-2(1) :-

वेतनमान ₹ 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में ₹ 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में

अनुमन्य ₹ 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/- अनुमन्य होगा।

उदाहरण-2(II) :-

इसी प्रकार वेतनमान ₹ 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में ₹ 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/-) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/- अनुमन्य है। उक्त स्थिति में संबंधित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4800/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य ₹ 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4800/- अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या: 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्कम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)/2011, दिनांक 08/03/2011 का संलग्नक-2

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोंनयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर संबंधित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। संबंधित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

- (1) यदि संबंधित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैंड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जनवरी/01 जुलाई को वेतन पुर्ननिर्धारित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियां, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोंनयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोंनयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन ₹ 100.00 था, तो प्रथम वेतनवृद्धि की गणना ₹ 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना ₹ 103.00 पर की जायेगी।
- (2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:-

वर्तमान वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैंड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में परिवर्तन

हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैंड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट:—यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्णयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण— किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्णयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरान्णयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जनवरी को देय होगी। उदाहरण—किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्णयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2010 को देय होगी।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव, वित्त।

प्रेषक,  
राधा रतूडी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक: 07 अप्रैल, 2011

विषय:-राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्या:872/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च,2011 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्या:872/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च,2011 के द्वारा व्यवस्था लागू की गयी है। जिसके प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-2 (1)(क) के परन्तुक में निम्न व्यवस्था उपलब्ध है:-

"किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।"

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2011 में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने पर तत्कम में वेतनमान/ग्रेड वेतन की अनुमन्यता से संबंधित स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2011 के प्रस्तर-1 में उपप्रस्तर-2 (1)(क) के परन्तुक के नीचे निम्न परन्तुक जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

किसी पद पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि पद का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन उच्चीकृत/संशोधित होता है तो ऐसे उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से संबंधित पद पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से अनुमन्य वेतन बैंड/ग्रेड वेतन के स्थान पर, संबंधित पद पर अनुमन्य उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैंड/ग्रेड वेतन के आलोक में, उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैंड/ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।



टिप्पणी:- उक्त व्यवस्था से संबंधित कतिपय उदाहरण संलग्नक पर उपलब्ध है।

3- इसी क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के निम्नलिखित तालिका में संदर्भित बिन्दु के सम्मुख स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रमांक	संदर्भित बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर देय लाभ की अनुमन्यता एक ही तिथि को होने की स्थिति में संबंधित पदधारक को दोनों लाभ उसी तिथि को देय जा सकते हैं अथवा नहीं ?	समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत यदि संबंधित पदधारक को प्रथम और द्वितीय वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ एक ही तिथि को देय होता है तो यह मानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तरोंनयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है और उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ ही अनुमन्यता की तिथि को देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ एक ही तिथि को देय होने पर संबंधित पदधारक को यह मानते हुए कि द्वितीय वित्तीय स्तरोंनयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है और उसे केवल तृतीय वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ ही अनुमन्यता की तिथि को देय होगा।
2	द्वितीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पद पर कार्यरत कतिपय कर्मियों को 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत अधिकारियों से उच्च ग्रेड वेतन की देयता बनती है। इस प्रकार वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों का ग्रेड वेतन उच्च हो सकता है अथवा नहीं ?	ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर-1(7) में यह प्राविधान उल्लिखित है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोंनयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार सेवावधि पर देय ए0सी0पी0 का लाभ का कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है।
3	शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 द्वारा की गयी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय	शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 द्वारा की गयी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य कराया

	<p>स्तरोन्नयन के अन्तर्गत देय लाभों के साथ वेतन बैंड परिवर्तित हो सकता है अथवा नहीं ?</p>	<p>गया अगला ग्रेड वेतन (अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 एवं दिनांक 01 सितम्बर,2008 के पूर्व की अवधि में अनुमन्य कराये गये पदोन्नति पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन) यदि उसी वेतन बैंड में प्राविधानित है तो वेतन बैंड अपरिवर्तित रहेगा। परन्तु उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अनुमन्य कराया गया अगला ग्रेड वेतन (अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 एवं दिनांक 01 सितम्बर,2008 के पूर्व की अवधि में अनुमन्य कराये गये पदोन्नति पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन) अगले वेतन बैंड का है, तो वेतन बैंड परिवर्तित होगा।</p>
4	<p>नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरोन्नयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं ?</p>	<p>यदि संबंधित कार्मिक दिनांक 01 सितम्बर,2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त लाभ के कारण वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन निरन्तर संतोषजनक सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए0सी0पी0 की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता हेतु ऐसी सेवाओं को गणना में लिया जायेगा।</p>

4- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2011 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


भवदीय  
(राधा स्तूडी)  
सचिव,वित्त।

संख्या : 10 (1)/XXVII(7)40(IX) / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10. इरला बैंक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
11. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

  
(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव ।

उदाहरण-1

ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह 'घ'(अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड ₹ 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1300/- के स्थान पर दिनांक 24 मार्च,2011 के संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड ₹ 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/- अनुमन्य होने के फलस्वरूप पूर्व में अनुमन्य वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी:-

1	समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी,2006 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 4440-7440 एवं ₹ 1300/-
2	दिनांक 01 सितम्बर,2008 को अनुसेवक "ए" को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 4440-7440 एवं ₹ 1300/-
3	समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर,2008 के पूर्व  (i) अनुसेवक "बी" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन  (ii) अनुसेवक "सी" को द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	  ₹ 4440-7440 एवं ₹ 1650/-  ₹ 5200-20200 एवं ₹ 1900/-
4	ए0सी0पी0 के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर,2008 से  (i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के रूप अनुमन्य वेतन एवं ग्रेड वेतन  (ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप अनुमन्य वेतन एवं ग्रेड वेतन  (iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप अनुमन्य वेतन एवं ग्रेड वेतन	  ₹ 4440-7440 एवं ₹ 1400/-  ₹ 5200-20200 एवं ₹ 1800/-  ₹ 5200-20200 एवं ₹ 2000/-
5	दिनांक 24 मार्च,2011 को समूह "घ" अनुसेवक के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन-	₹ 5200-20200 एवं ₹ 1800/-
6	समूह "घ" अनुसेवक के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 24 मार्च,2011 से  (i) अनुसेवक "ए" प्रथम को वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	  ₹ 5200-20200 एवं ₹ 1900/-

-6-	
(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200-20200 एवं ₹ 2000/-
(iii) अनुसेवक "सी" तृतीय को वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200-20200 एवं ₹ 2400/-

### उदाहरण-2

ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने के उपरान्त सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड ₹ 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800/- के स्थान पर दिनांक 31 मई, 2010 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड ₹ 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/- अनुमन्य होने के फलस्वरूप पूर्व में अनुमन्य वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी:-

1	सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 5200-20200 एवं ₹ 2800/-
2	दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को सहायक समीक्षा अधिकारी "क" को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (पद हेतु निर्धारित)	₹ 5200-20200 एवं ₹ 2800/-
3	समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के पूर्व	
	(i) सहायक समीक्षा अधिकारी "ख" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 9300-34800 एवं ₹ 4600/-
	(ii) सहायक समीक्षा अधिकारी "ग" को द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 9300-34800 एवं ₹ 4800/-
4	ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को सहायक समीक्षा अधिकारी के पदधारक।	
	(i) "क" को प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य अगला वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 9300-34800 एवं ₹ 4200/-
	(ii) "ख" को द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 9300-34800 एवं ₹ 4800/-
	(iii) "ग" को तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	₹ 9300-34800 एवं ₹ 5400/-

-7-		
5	दिनांक 31 मई,2010 को सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चिकृत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	₹ 9300-34800 एवं ₹ 4200/-
6	सहायक समीक्षा अधिकारी के पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चिकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 31 मई,2010 को सहायक समीक्षा अधिकारी (i) "क" को प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन (ii) "ख" को द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन (iii) "ग" को तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	₹ 9300-34800 एवं ₹ 4600/- ₹ 9300-34800 एवं ₹ 4800/- ₹ 9300-34800 एवं ₹ 5400/-